न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 56 / 2022

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
चांदी देवी पुत्री धनाराम पत्नी हुकमाराम जाति माली निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. खंगारराम पुत्र धनाराम जाति माली निवासी अम्बावाडी तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक 122297 दिनांक 02.07.2022 जो उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पुनड़, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 संख्या 2 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.02.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश दिनांक 02.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि [illegible] अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत [illegible] प्रार्थना–पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा अम्बावाडी के खसरा नम्बर [illegible]22 रकबा 0–5358 बीघा में से 3966 वर्गमीटर भूमि अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 02.07.2022 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने दिनांक 29.07.2022 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन भूमि के पास अपनी खातेदारी मौजा अम्बावाड़ी के खसरा नम्बर 1025 / 22 रकबा 0–5358 बीघा में से 3966 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 के पिता धना के नाम से सेटलमेंट से खातेदारी खेत मौजा शिव पटवार क्षेत्र शिव के खसरा नम्बर 22 रकबा 28 बीघा अवस्थित है। धना के सात पुत्र बगताराम, आम्बाराम, तुलछाराम, जगमालराम, पेमाराम, खीमाराम, खंगराराम व चार पुत्रियां चांदीदेवी, अकलो, बबरी, अणसी है। जिसका मुतवफी धनाराम की उक्त आराजी मे बराबर हिस्सा के खातेदारी अधिकार है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 के पिता की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा वारीसान की गलत सूचना देकर भरवाया गया। अपीलांट के हक व हिस्सा को महरूम करने के उद्देश्य से उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा राजस्व कर्मचारियों के धनाराम वारीसान की गलत सूचना देकर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया तथा उनके हिस्से की जमीन से राजस्व रिकार्ड में नाम [illegible] कर वंचित रखा गया। जिस पर अपीलांट के द्वारा [illegible] घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible] में दावा पेश किया गया जो विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वादग्रस्त भूमि का अपीलाधीन आदेश द्वारा संपरिवर्तन कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलेक्टर
Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से संपरिवर्तन नहीं करने बाबत उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि–विरूद्ध एवं न्याय के मूलभूत एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदार रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब कर नियमानुसार शुल्क अदायगी पर अपीलाधीन आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार से लगाकर संपरिवर्तन एवं उसके पश्चात के समस्त अन्तरण विधिवत रूप से हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि नहीं हुई हैं और न ही शुल्क इत्यादि की राजकोष को हानि हुई हैं। अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारित फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म–क में एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा अम्बावाड़ी के खसरा नम्बर 1025/22 रकबा 0–5358 बीघा में से 3966 वर्गमीटर भूमि अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 02.07.2022 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने दिनांक 29.07.2022 को यह अपील इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 के पिता की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा वारीसान की गलत सूचना देकर भरवाया गया। अपीलांट के हक व हिस्सा को महरूम करने के उद्देश्य से उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा राजस्व कर्मचारियों के धनाराम वारीसान की गलत सूचना देकर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया तथा उनके हिस्से की जमीन से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं कर वंचित रखा गया। जिस पर अपीलांट के द्वारा अपने हक व अधिकारो की घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव में दावा पेश किया गया जो विचाराधीन है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदार रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब कर नियमानुसार शुल्क अदायगी पर अपीलाधीन आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारित फरमाई जावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है उक्त संपरिवर्तन आदेश अन्तर्गत भूमि वादग्रस्त है तथा पक्षकारों के खातेदारी अधिकारो का अंतिम विनिश्चयन होना शेष है। इस प्रकार विवादित भूमि के स्वरूप एवं किस्म परिवर्तित कर देने से उक्त वाद में जटिलता एवं वादो की बहुलता होगी। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश दिनांक 02.07.2022 [illegible] से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर

तहसीलदार शिव द्वारा मौजा अम्बावाड़ी के संपरिवर्तन आदेश 122297 दिनांक 02.07.2022 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख पर लेते हुए नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उचित जांच उपरान्त नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested